LL.B. VI/B.B.A.LL.B. X/ B.A.LL.B. X – Semester

Practical Paper – Moot Court, Pre-Trial Preparations & Trial Proceedings

Memorial Rules

Memorial must contain the following parts:

- Cover Page (आवरण पृष्ठ)
- Table of Contents (विषय सूची)
- Acknowledgment (आभार)
- Index of Abbreviations (सार संक्षेप की सूची)
- Provision involved (सम्मिलित प्रावधान)
- Statement of Facts (तथ्य)
- Issues Involved/Ground (वाद–बिन्दू/आधार)
- Summary of Arguments (बहस)
- Cases cited (संदर्भित वाद)
- Prayer (प्रार्थना)
- Annexure, if any (संलग्नक, यदि हों)

Note:-

1. Use the legal size (FS) page for the memorial. (केवल legal size (FS) का ही प्रयोग करे)
2. Leave margin of 1 inch from all the four side. (पेज के चारो तरफ से एक इंच छोडकर लिखे।)
3. The memorial should be on one side of the page only. (पेज एक ही तरफ लिखे)
4. Number of pages should be atleast 20 in each memorial. (प्रत्येक समस्या की फाइन में कम से कम 20 पेज होने चाहिये)
5. Use only blue or black ball point pen for making the file. (केवल नीले अथवा काले पेन का प्रयोग करे)
6. On the date of presentation the entire group should be present. (प्रैसेन्टेशन की तिथि पर ग्रुप के सभी छात्रों को उपस्थिति रहना होगा)
7. The student should follow the dress code. (सभी छात्र–छात्राओं को प्रैसेन्टेशन के दिन कालेज यूनिफार्म में उपस्थिति रहना होगा)
8. The student is directed to submit the file on the date of presentation otherwise he/she will get negative marks. (सभी छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी फाइल प्रैसेन्टेशन के दिन जमा करेंगें अन्यथा उनको नकारात्मक अंक प्रदान किये जायेंगें)
9. The presentation and submission date shall be announced in the month of April 2020. (जमा करने और प्रैसेन्टेशन तिथि अप्रैल 2020 में घोषित की जायेगी)
10. Files can be collected from the library on the date of presentation. (फाइल प्रैसेन्टेशन की तिथि पर लाइब्रेरी से ले सकते है)

मूट समस्या – I (2020)

संवैधानिक विधि

सुधीर मनोहर.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ.....प्रतिपक्षी संख्या 1

Frugal.com .....प्रतिपक्षी संख्या 2

The Indian Expresso.....प्रतिपक्षी संख्या 3

(1) 9 फरवरी 2006, भारतीय फिल्म जगत के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन माना गया क्योंकि इस दिन "स्कैटरब्रेन्ड द फाइनल सेमेस्टर" नामक फिल्म प्रदर्शित की गई। वैश्विक दर्शकों को फिल्म के शानदार निर्देशन और सम्मोहक कथा ने अवाक कर छोड दिया। फिल्म क्रू (Crew) के लगभग हर सदस्य को अपनी रिलीज के एक हफते के भीतर, काफी गौरवान्वित किया। निर्देशर सुधीर मनोहर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के राष्ट्रीय पुरूस्कार से नवाजा गया।

(2) अभिभूत, सुधीर ने फिल्म की सफलता का जश्न माने के लिये 30 फरवरी 2006 को अपने पूणे निवास पर एक बडी पार्टी की। पार्टी में सभी के लिये बेहतरीन खाद्य पदार्थो और मादक पेय का प्रबन्ध किया। एम. शनाया घोष जो एक युवा अभिनेत्री है, पार्टी में मौजूद कई जानी–मानी हस्तियों के बीच आत्म विश्वास से भरी थी। वह सुधीर की अगली परियोजनाओं में भूमिका निभाने के लिये तैयार थी। शनाया ने सुधीर के साथ बातचीत करने की हिम्मत दिखाई और इसे एक पेशेवर प्रस्ताव में बदल दिया। एक बात पर सुधीर ने मजाक में कहा कि वह अपनी भूमिका को बहुत सही ढंग से अपने ओडिशन में अच्छा कर सकती है। जाहिर तौर पर शनाया इस प्रस्ताव के लिये सहमत हो गई और उन्होनें स्टूडियों में इस ओडिशन की शुरूआत उन सभी मेहमानों के पार्टी छोडने के बाद की।

(3) सुधीर जब सुबह उठा तो उसके सर में तेज दर्द था और दर्द के साथ पिछली रात घटित घटनाओं की कुछ धुंधली यादें। दिन के करीब 2 बजे अपने दरवाजे पर पुलिस को देखकर वह भौचक्का रह गया। आनन फानन में पुलिस ने सुधीर को छेडछाड के आरोप में गिरफतार कर लिया जोकि श्रीमति शनाया ने उस पर लगाये थे। ततपश्चात उपयुक्त कोर्ट ने सुधीर को जमानत पर रिहा कर दिया। उसने अपनी जिंदगी दोबारा साधाराण रूप से शुरू कर दी, तथापि इस घटना को पुरी तरह से नजरअंदाज नही कर सका।

(4) एक राष्ट्रीय दैनिक, The Indian Expresso ने इस घटना की रिपोर्ट अपने प्रिंट और ऑनलाइन संस्करण में सुधीर की जमानत अर्जी के घण्टो भीतर दी। TIE ने कहा कि तरकीय निर्देशक सुधीर मिश्रा पर एक नवोदित अभिनेत्री से छेडछाड करने का आरोप

लगाया गया है। संघर्षरत अभिनेत्री का दावा है कि यह घटना उनके निवास पर कुछ समय बाद हुई जब सुधीर की स्कैटरब्रेन की सफलता पार्टी के लिये सब रवाना हुये।

लेख के इस टुकडे जिसका शीर्षक "Scaterbrained Director in Tatters, Accused of Molestation" था, उसने लेख के ऑनलाइन संस्करण पर बडी संख्या में हिंट देखे।

आखिरकार लेख के इस टुकडे के ऑनलाइन संस्करण के लिये लिंक इतना लोकप्रिय हो गया कि खोज इंजन frugal.com पर "सुधीर मिश्रा" शब्दों की खोज हमेशा इस टुकडे के लिंक के पहले परिणाम के रूप में देती है।

(5) 10 साल बाद यह घटना अभी भी सुधीर मिश्रा के लिये भारी संकट का कारण है क्योंकि वह 2016 में अदालत द्वारा पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया था और इस घटना के सम्बन्ध में सभी आरोपों से बरी हो चुका था। आज भी सुधीर मित्तल की कोई भी खोज उनके बरी होने के तथ्य के बावजूद ऑनलाइन लेख के लिंक की ओर लें जाती है। जब उन्होनें frugal.com से सम्बन्धित व्यक्तियों से सम्पर्क किया तो उन्होंनें लिंक को नीचे ले जाने के लिये TIE के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया। हालांकि TIE ने इसे नीचे ले जाने से इन्कार कर दिया क्योंकि TIE के अनुसार ऑनलाइन लेख में लिखा प्रत्येक विवरण उनके ज्ञान के लिये सही था।

(6) पीडित सुधीर मनोहर ने भारत संघ frugal.com तथा The Indian Expresso के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उसने अनुच्छेद 21 के तहत भुलायें जाने के अपने मौलिक अधिकार (Right to be forgotten) के उल्लंघन के निवारण के लिये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता अथवा प्रतिपक्षी की तरफ से तर्क प्रस्तुत कीजिए।

मूट समस्या – II (2020)

पारिवारिक समस्या

देवेश.....अपीलार्थी

बनाम

कीर्ति.....प्रतिपक्षी

1. अपीलार्थी देवेश (पति) जोकि एक इंजीनियर है तथा प्रत्यार्थी कीर्ति (पत्नी) जोकि एक ड्राफटमैन है, दोनों ही अण्डमान के लोकनिर्माण विभाग में कार्यरत है। इन दोनों का विवाह 3 मार्च 1994 को हिन्दू रीति रिवाजों के साथ सम्पन्न हुआ तथा दोनों एक दूसरे के साथ वैवाहिक घर में रहने लगे।

2. इस विवाह से दिनांक 24 जनवरी 1996 को एक पुत्र का जन्म हुआ।

3. अपीलार्थी का कहना है कि विवाह के बाद दोनों के सम्बन्ध अच्छे नही रहे तथा प्रत्यर्थी अपने पति तथा उसके परिवार के साथ नही रहना चाहती थी और अलग रहना चाहती थी। उसने अपने पति की बेइज्जती की तथा उसे "धोबी" कहा ओर साथ ही नाबालिक पुत्र को "धोबी का पुत्र" कहा।

4. सहवास के दौरान दम्पत्ति द्वारा तीन बार अपना आवास बदला गया। अपीलार्थी का कहना था कि प्रत्यर्थी का व्यवहार मकान मालिक तथा पडोसियों के प्रति भी बहुत बुरा था। प्रत्यर्थी द्वारा इस बात को नकारते हुये कहा गया कि एक बार तो पति की इच्छा से ही आवास बदलना आवश्यक हो गया था तथा दो अन्य अवसरों पर मकान मालिक के ज्यादा किराया मांगने के कारण तथा पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति नही होने के कारण बदलना पडा।

5. प्रत्यर्थी का कथन था कि उसके पिता एक चौकीदार के रूप में कार्य करते थे जिस कारण अपीलार्थी का परिवार उससे नफरत करता था तथा उसे ताना मारते थे कि वह ज्यादा दहेज नही लायी।

6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–अ के अर्न्तगत एक परिवाद दायर किया गया परन्तु बाद में उसे वापस ले लिया गया।

7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी पर यह आरोप लगाया गया कि विवाह के बाद भी अपीलार्थी का उसके अधीन कार्य करने वाले एक अन्य महिला के साथ नाजायज सम्बन्ध थे और जब इस बारे में उसने अपीलार्थी को टोका तो वह उस पर चिल्लाया और गाली–गलौच भी की।

8. सन 1997 में प्रत्यर्थी द्वारा अपना वैवाहिक घर छोड दिया गया तथा वह अपने माता–पिता के साथ रहने लगी। इस पर उसके पति द्वारा एक विधिक नोटिस इस आशय का भेजा गया कि वह अपने वैवाहिक घर में वापस आ जाये।

9. सन 2003 में फिर से प्रत्यर्थी ने अपना वैवाहिक घर छोड दिया तथा अपने माता–पिता के साथ रहने लगी और तब से वापस नही आयी।

10. अपीलार्थी द्वारा अण्डमान निकोबार के जिला जज की अदालत में तलाक का एक वाद हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) (ia) तथा 13 (1) (ib) के अन्तर्गत क्रूरता तथा अभितेजन के आधार पर दायर किया गया। पक्षकारों को सुनने के बाद विद्वान जिला जज द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2008 को तलाक की एक डिक्री पारित कर दी गई।

11. प्रत्यर्थी द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध एक अपील F.A. no- 003-2008 कोलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट बिलियर की पीठ में दायर की गई। दोनो पक्षों के बीच किसी समझौते की गुंजाइश थी या नही यह जानने के लिये माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें विशेष कक्ष में सुना गया। प्रत्यर्थी पुरानी बाते भूलकर वापस लौटने को सहमत थी परन्तु अपीलार्थी इस पर सहमत नही था। न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी से न्यायालय के बाहर वार्तालाप करे। इसके लिये न्यायालय द्वारा उन्हें एक हफते का समय दिया गया ताकि उनके मतभेद सुलझ जायें और विवाह को टूटने से बचाया जाये। अपीलार्थी न्यायालय के सामने सहमत हो गया परन्तु उसने प्रत्यर्थी से कोई सम्पर्क नही किया। काफी प्रयास करने के बावजूद भी जब मामला नही सुलझ पाया तो माननीय न्यायालय द्वारा गुणा–गुण के आधार पर अपील को निस्तारित करते हुये तलाक की डिक्री को अपास्त (खारिज) कर दिया।

12. इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की गई है। अपीलार्थी अथवा प्रतिपक्षी की तरफ से तर्क प्रस्तुत कीजिए।

मूट समस्या – III (2020)

आपराधिक विधि

रिधिमा गुप्ता .....अपीलार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ दिल्ली.....प्रत्यर्थी

(1) अरमान मलिक और रिधिमा गुप्ता सी0बी0आई0टी0 इंजिनियरिंग कालेज दिल्ली के छात्र है। ये द्वितीय वर्ष की पढाई कर रहे है। अरमान बहुत ही उदण्ड एंव शरारती व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। एक बार जब लेकचरर पढा रहा था तो उसने कक्षा में बम–पटाखें छोड दिये। दूसरी और रिधिमा अन्तर्मुखी और अचायक ही अपना आपा खो देने वाली लडकी थी। अरमान हमेशा रिधिमा के स्थूलकाय शरीर के लिये "मोटी भैंस" कहकर उसे छेडता था। उसने रिधिमा के बारे में यह अफवाह फैला दी कि वह मादक पदार्थो को लेने की आदी है। एक अवसर पर उसने अपना आपा खो दिया और अरमान को थप्पड भी मार दिया। उसके बाद से उसने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि वह अरमान से नफरत करती है।

(2) 5 नवम्बर 2012 को लगभग 5:45 बजे अरमान ने रिधिमा की दोस्त तथा सहपाठी से फोन करवाकर उससे कुछ जरूरी बात करने के लिये जल्दी से ऑडीटोरियम में आने के लिये कहा। रिधिमा जल्दी से ऑडीटोरियम की और भागी तो उसने पाया कि वह तो खाली है। लगभग 6:00 बजे के करीब, उसने जैसे ही ऑडीटोरियम के अन्दर प्रवेश किया, अरमान ने हॉल की बिजली बन्द कर दी और बाहर से ताला लगा दिया। रिधिमा घबरा गई और जोर–जोर से दरवाजा पीटने लगी। वह सहायता के लिये चिल्लाने लगी और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। वह उस स्थिति में लगभग आधे घण्टे तक रही। लगभग 6:30 बजे के करीब उसने दरवाजे पर किसी की आहट सुनी, वह एक लाठी लेकर जो उसे ऑडीटोरियम में मिली थी, दरवाजे के पीछे छिप गई। जैसे ही अरमान ने अन्दर प्रवेश किया उसने पीछे से उसके सिर पर लाठी से चोट कारित कर दी। थोडी ही देर बाद अरमान गिर गया, वह लाठी को फेंककर भाग गई और बाहर से दरवाजा बंद कर गई। सी0सी0टी0वी0 कैमरा जोकि सभागार के बाहर लगा हुआ था, में रिधिमा के अन्दर आने, अरमान के अन्दर आने तथा रिधिमा का बाहर जाने का फुटेज कैद हो गई। जिस लकडी की लाठी का प्रयोग किया गया था वह कूडेदान के पास से बरामद कर ली गई। रिधिमा के दोस्तों ने बतायां कि वह घबराई हुई थी, उन्होने लगातार उससे पूछा कि क्या गलत हुआ है परन्तु उसे बताने से इन्कार कर दिया, नींद की दवाई ली और सोने चली गई।

(3) 6 नवम्बर लगभग रात्री 8:00 बजे, कुछ छात्रों द्वारा अरमान मलिक की लाश सून से लतपथ हालत में ऑडीटोरियम में पायी गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु सिर पर लगी चोट से लगातार खून बहने के कारण हुई थी। रिधिमा गुप्ता को गिरफतार कर लिया गया और उसके विरूद्ध प्राथिमिकी (FIR) दर्ज की गयी। उसे अरमान मलिक की हत्या के लिए अभियोजित किया गया।

(4) दिल्ली के सत्र न्यायालय द्वारा इस मामले का विचारण करते हुये अभियुक्ता रिधिमा गुप्ता को हत्या का दोषी मानते हुये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत 10 वर्ष की सजा दी गई।

(5) इस सजा के विरूद्ध अपीलार्थी रिधिमा गुप्ता द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी रिधिमा गुप्ता अथवा प्रत्यर्थी दिल्ली सरकार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के सुसंगत प्रावधान

धारा 299. आपराधिक मानव–वध– जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुये कि यह सम्भाव्य है कि वह कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।

धारा 300. हत्या– एस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोडकर आपराधिक मानव–वध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो अथवा,

दूसरा– यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, जिसको वह अपहानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा– यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त हो, अथवा

चौथा– यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसम्भाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिये किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

अपवाद 1–आपराधिक मानव वध कब हत्या नही है– आपराधिक मानव वध हत्या नही है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गम्भीर और अचानक प्रकोपन से आत्म–संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने की वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करें।

उपर का अपवाद निम्नलिखित परन्तुक के अध्यधीन है–

पहला– यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानी करने के लिये अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में इप्सित न हो, या स्वेच्छया प्रकोपित न हो।

दूसरा– यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोकसेवक द्वारा ऐसी लोकसेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गयी है।

तीसरा– यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गयी है।

स्पष्टीकरण– प्रकोपन इतना गम्भीर या अचानक था या नही की अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है।